दिनांक 27.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एम0पी0 सिंह उपस्थित। विपक्षी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंघल भी उपस्थित। पक्षकारों के अभिवचनों का परिशीलन किया। अतः पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद–बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1. क्या दिनांक 23.05.2023 को दोपहर समय 2:30–3:00 बजे धर्मपुर, बिलारी रोड मुरादाबाद थानाक्षेत्र बिलारी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जब मुकतियार मोटरसाईकिल पंजीकरण संख्या–यू0के0 06 बी.ई.7639 पर अपने दोस्त अकरम के साथ पीछे बैठकर बिलारी जा रहा था तो समय करीब दोपहर 2:30–3:00 बजे धर्मपुर में सड़क के बीच अचानक आयी गाय को बचाने के प्रयास में मोटरसाईकिल खम्बे से टकरायी, जिस कारण पीछे बैठे मुकतियार का सिर खम्बे से लगने के कारण मुकतियार की मौके पर ही मृत्यु हो गयी ?

2. क्या उपरोक्त तिथि व समय पर प्रश्नगत मोटरसाईकिल पंजीकरण संख्या–यू0के0 06 बी.ई.7639 के चालक के पास उक्त मोटरसाईकिल को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति मौजूद था और उक्त मोटरसाईकिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं अन्य आर0टी0ओ0 प्रपत्र मौजूद थे तथा उक्त मोटरसाईकिल बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलायी जा रही थी ?

3. क्या याचीगण प्रतिकर की कोई धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हॉ, तो कितनी और किस विपक्षी से ?

अन्य कोई वाद–बिन्दु सृजित नहीं होता है, न ही अन्य किसी वाद–बिन्दु पर किसी पक्षकार द्वारा बल दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य याचीगण दिनांक..को पेश हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
एम0ए0सी0टी0 / प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
उधम सिंह नगर